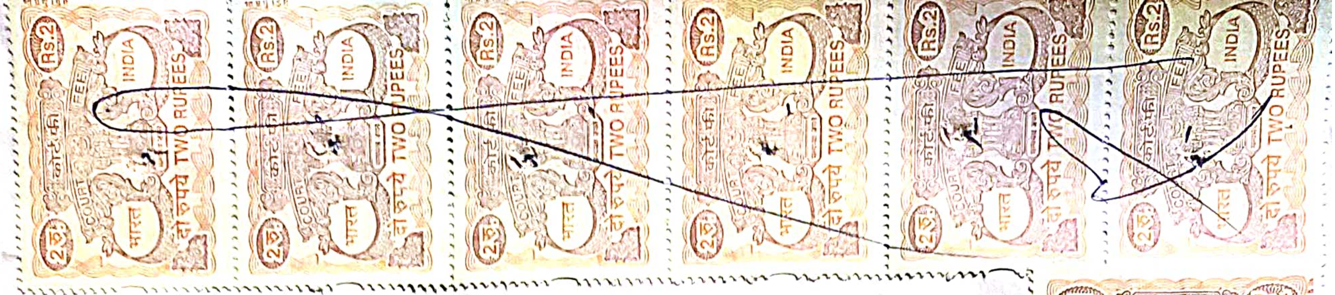

7
132

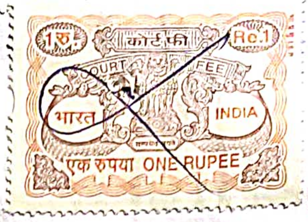

430
01/07/2023

नकल आदेश दि० 30/06/2023 वाद सं० 23/2023 धारा-80 उ० प्र० रा० सं० 2006 मौजा-रजमलपुर उर्फ नवापुरा प० सि०मकी तह० रसड़ा इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग इण्टरमीडिएट कालेज नवापुरा बलिया द्वारा प्रबन्धक काशीनाथ बनाम राज्य सरकार न्यायालय उपजिलाधिकारी रसड़ा तह० दी० दि० 30/06/2023

न्यायालय उप जिलाधिकारी रसड़ा-बलिया

नोट- नकल फोटोकापी के साथ संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :बलिया,तहसील :रसड़ा
वाद संख्या :-2413/2023
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202315090402413
इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग इंटरमिडीएट कालेज रसड़ा प्रबन्धक काशीनाथ बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी इन्द्रासन जन सहयोग इण्टरमीडिएट कालेज नवापुरा बलिया द्वारा प्रबन्धक काशीनाथ सिंह पुत्र इन्द्रासन सिंह निवासी–रजमलपुर उर्फ नवापुरा परगना सि0गर्वी तहसील रसड़ा जनपद बलिया द्वारा दिनांक 13.07.2022 को इस अनुरोध के प्रार्ना पत्र साथ प्रस्तुत किया है कि मौजा–**रजमलपुर उर्फ नवापुरा** परगना सि0गर्वी के आ0न0 322 रकबा 0.324 हे0 व आ0न0 323 रकबा 0.235 हे0 भूमि पर इन्द्रासन जन सहयोग इण्टरमीडिएट कालेज बनाकर अकृषिक रूप व व्यवसायिक रूप मे उपयोग किया जा रहा है। इसे धारा 80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित किया जाय।

तहसीलदार रसड़ा की जांच आख्या प्राप्त होने पर, वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रसड़ा की जॉच आख्या दिनांक 24.06.2023 को उ0प्र0रा0सं0 2006 80(1) के अर्न्तगत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य उद्धरण खतौनी, खसरा, फोटोग्राफ,नजरी नक्शा, जो0च0 आकार पत्र 41 व 45 मे आ0न0 323 रकबा 1.68 एकड़ सीताराम पुत्र सूबेदार निवासी–स्था0 व आ0न0 323 रकबा –58 एकड़ गोरख आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तहसीलदार रसड़ा की आख्या दिनांक 24.06.2023 से स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त भूमि पर इन्द्रासन जन सहयोग इण्टरमीडिएट कालेज बनाकर अकृषिक व व्यवसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। (फोटो संलग्न) तहसीलदार रसड़ा द्वारा अपने आख्या मे उक्त भूमि की मालियत [illegible]5,500/अंकित किया गया है। साथ ही महानिरीक्षक निबन्धक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र [illegible]3893/शि0का0लख0/2018 दिनांक 30, अगस्त 2018 के द्वारा कृषि भूमि को अकृषिक घोषित किये [illegible] वादों मे उदघोषणा शुल्क के अतिरिक्त न्यायालय शुल्क 01 प्रतिशत देय है। वादीगण द्वारा उद्घोषणा शुल्क के रूप चालान संख्या एफ0आर0 00010 दिनांक 27.06.2023 मु0 30,750/रू0 (तीस [illegible] पचास) रू0 जमा कर चालान की प्रति एवं न्यायालय शुल्क के रूप मे मु0 30,750/रू0 [illegible] कार्टस्टाम्प प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। उक्त भूमि **धारा 80(1) उ0प्र0रा0सं02006** के [illegible] अकृषिक व व्यवसायिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा–**रजमलपुर उर्फ नवापुरा** परगना सि0गर्वी के आ0न0 322 रकबा 0.0.324 हे0 व आ0न0 323 रकबा 0.235 हे0 भूमि धारा 80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित की जाती है। उपरोक्त वर्णित लेखपाल आख्या में यदि किसी प्रकार का विचलन या तथ्यों को आवेदक द्वारा छिपाया जाना तथा खतौनी सन् 1359फ0 के अधार पर यदि उक्त आराजी ग्राम सभा/आदि से सम्बन्धित भविष्य मे पाया जाता है। तो उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा और भू–राजस्व की भांति वसूली की जायेगी। उक्त आदेश खतौनी के कालम–7 लगायत 12 वर्षानुवर्ष अंकित किया जाय। परवाना जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक रसड़ा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

नकल करने वाले किताबदार 2 ऊषा नि [illegible]

दिनांक 30-6-23

30.6.23
(सदानन्द सरोज)
उपजिलाधिकारी
रसड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी बलिया,
प्रा० पत्र देने का दि० 01.07.23
तैयारी करने का दि० 01.07.23
नकल जारी की दि० 01.07.23
उजरत........
हा० अहलमद उपजिलाधिकारी, रसड़ा

कार्यालय उप जिलाधिकारी
प्रमाणित प्रतिलिपि
एस० डी० ओ० रसड़ा

7/132

430
01/07/2023

नकल आदेश दि० 30/06/2023 वाद नं० 23/2023 धारा-80 उ0 प्र0 रा0 सं0 2006 मौजा - खजमलपुर उर्फ नवापुरा प० सि०जकी तह० खड्डा इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग इण्टरमीडिएट कालेज नवापुरा कलिया द्वारा प्रबन्धक काशीनाथ बनाम राज्य सरकार न्यायालय उपजिलाधिकारी खड्डा ता० नी० दि० 30/06/2023

नोट - नकल खतौनी के साथ संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :बलिया,तहसील :रसड़ा
वाद संख्या :-2417/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202315090402417
विमला सिंह बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादिनी विमला सिंह पत्नी काशीनाथ सिंह निवासी--रजमलपुर उर्फ नवापुरा परगना सि0गर्वी तहसील रसड़ा जनपद बलिया द्वारा दिनांक 13.07.2022 को इस अनुरोध के प्रार्ना पत्र साथ प्रस्तुत किया है कि मौजा--**रजमलपुर उर्फ नवापुरा** परगना सि0गर्वी के आ0न0 324मि0 रकबा 0.202 हे0 मे से रकबा 0.051 हे0 भूमि पर इन्द्रासन जन सहयोग इण्टरमीडिएट कालेज को किराये पर अकृषिक रूप व व्यवसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसे धारा 80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित किया जाय।

तहसीलदार रसड़ा की जांच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रसड़ा की जॉच आख्या दिनांक 24.06.2023 को उ0प्र0रा0सं0 2006 80(1) के अर्न्तगत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य उद्धरण खतौनी, खसरा, फोटोग्राफ,नजरी नक्शा, जो0च0 आकार पत्र 41 व 45 मे आ0न0 324 रकबा 5.17 एकड़ नई परती अंकित है। तहसीलदार रसड़ा की आख्या दिनांक 24.06.2023 से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा उक्त भूमि पर इन्द्रासन जन सहयोग इण्टरमीडिएट कालेज बनाकर अकृषिक व व्यवसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। (फोटो संलग्न) तहसीलदार रसड़ा द्वारा अपने आख्या मे उक्त भूमि की मालियत 23,93,000/अंकित किया गया है। साथ ही महानिरीक्षक निबन्धक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या--9893/शि0का0लख0/2018 दिनांक 30, अगस्त 2018 के द्वारा कृषि भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने वाले वादों मे उदघोषणा शुल्क के अतिरिक्त न्यायालय शुल्क 01 प्रतिशत देय है। वादिनी द्वारा उदघोषणा शुल्क के रूप चालान संख्या एफ0आर0 00011 दिनांक 27.06.2023 मु0 23,930/रू0 (तेइस हजार नौ सो तीस) रू0 जमा कर चालान की प्रति एवं न्यायालय शुल्क के रूप मे मु0 23,930/रू0 मात्र का स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। उक्त भूमि **धारा 80(1) उ0प्र0रा0सं02006** के तहत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा--**रजमलपुर उर्फ नवापुरा** परगना सि0गर्वी के आ0न0 324मि रकबा 0.202 हे0 मे से रकबा 0.051 हे0 भूमि धारा 80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत अकृषिक व व्यवसायिक घोषित की जाती है। उपरोक्त वर्णित लेखपाल आख्या में यदि किसी प्रकार का विचलन या तथ्यों को आवेदक द्वारा छिपाया जाना तथा खतौनी सन् 1359फ0 के अधार पर यदि उक्त आराजी ग्राम सभा/आदि से सम्बन्धित भविष्य मे पाया जाता है। तो उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा और भू--राजस्व की भॉति वसूली की जायेगी। उक्त आदेश खतौनी के कालम--7 लगायत 12 वर्षानुवर्ष अंकित किया जाय। परवाना जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक रसड़ा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 30-6-23

30.6.23
(सदानन्द सरोज)
उपजिलाधिकारी
रसड़ा।

नकलकर्ता
मिलानकर्ता
राम्प्रमोद

कार्यालय जिलाधिकारी बलिया,
प्रा० पत्र पेश का दि० 01/07/23
तैयारी नकल का दि० 01/7/23
नकल जारी की दि० 01/7/23
उजरत ......
हु० अहलमद उपजिलाधिकारी, रसड़ा

कार्यालय उप जिलाधिकारी
प्रमाणित प्रतिलिपि
एस० डी० ओ० रसड़ा
01/7/23